(वाद सं0.208/4/6/2023)

06.11.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, डॉ0 राम नरेश प्रसाद, सेवानिवृत (चिकित्सा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, भोजपुर, आरा) को सेवानिवृत्ति के 22 माह बीत जाने के उपरान्त सेवांत लाभ व पेंशन के भुगतान से बंचित रखने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " **प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग पुराना सचिवालय, पटना के द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं0–711(25)दिनांक–19.04.2023 के आलोक में 300 दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले 24,08960/–(चौबीस लाख आठ हजार नौ सौ साठ) रू0 मात्र का भुगतान उनके खाता में कर दी गई है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया ह कि पेंशन प्राधिकार पत्र जिसका PPO No. 202311171031PO) कोषागार, आरा में पषित किया जा चुका है ।**"

उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से इस निर्देश के साथ प्रत्युत्तर की मांग की गई कि अगर उनकी ओर से वांछित प्रत्युत्तर ससमय नहीं दिया जाता है तो उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिवेदन पर परिवादी से मांगा गया प्रत्युत्तर अप्राप्त है।

अब जबकि परिवादी को सेवांत लाभ का भुगतान कर दिया गया है तथा पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागार, आरा में प्रेषित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा** से प्राप्त प्रतिवेदन (पृष्ठ–07–04/प0) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव